

उत्तरांचल शासन  
निर्वाचन विभाग,  
संख्या /25-XXV/2(1)/2005  
दिनांक: देहरादून: ८ अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप

रूपना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम राख्या-22) को धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल निर्वाचन विभाग में निम्न विवरणानुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी को विनियोगित कर नामित किया जाता है:-

क्रोसोवर	विभाग	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1.	निर्वाचन विभाग	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	—	सचिव, निर्वाचन उत्तरांचल शासन

उक्त अधिकारियों को इन कार्यों हेतु पृथक से कोइ वतन/भत्ता देय नहीं होगा।

(एन० रवि शक्तर)  
सचिव

पृ० संख्या ५८५१ (1)/25-XXV/2(1)/2005, तदृदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- सचिव, सूचना, उत्तरांचल शासन।
- स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- संबंधित अधिकारीयण।
- मण्डलायुक्त, कुमायू/गढवाल।
- समरत जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- समरत विभागाध्यक्ष।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तरांचल।
- कार्यालय प्रति।

आज्ञा से

N. Rav Shaktar  
(एन० रवि शक्तर)  
सचिव